मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३० सन् २०२१

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, २०२१

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम.

२. धारा १३-क का अन्त:स्थापन.

३. धारा १९ का संशोधन.

४. धारा ५५ का अन्त:स्थापन.

५. धारा ११० का संशोधन.

६. धारा २४७ का संशोधन.

७. धारा २५८ का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३० सन् २०२१

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, २०२१

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०२१ है. **संक्षिप्त नाम.**

२. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १३-क को धारा १३-ख के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए तथा इस प्रकार पुनर्क्रमांकित धारा १३-ख के पूर्व, निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :— **धारा १३-क का अन्तःस्थापन.**

"**१३-क. साइबर तहसील**—राज्य सरकार, ऐसे मामलों के वर्ग, जैसे कि राज्य सरकार साधारण आदेश द्वारा अधिसूचित करे, के निराकरण के प्रयोजन के लिए, एक या एक से अधिक जिले समाविष्ट करते हुए, उसके मुख्यालय के साथ साइबर तहसील सृजित कर सकेगी तथा ऐसी साइबर तहसील को समाप्त कर सकेगी या उसकी सीमाओं को परिवर्तित कर सकेगी.".

३. मूल अधिनियम की धारा १९ में, उपधारा (३) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं जोड़ी जाएं, अर्थात्— **धारा १९ का संशोधन.**

"(४) राज्य सरकार, प्रत्येक साइबर तहसील के लिए किसी राजस्व अधिकारी या किसी राजपत्रित अधिकारी को, जैसा कि वह ठीक समझे, साइबर तहसीलदार नियुक्त कर सकेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो इस संहिता द्वारा या उसके अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन किसी तहसीलदार को प्रदत्त की गयी हैं या अधिरोपित किए गए हैं तथा ऐसा साइबर तहसीलदार ऐसे मामलों की जांच, जो कि राज्य सरकार द्वारा साधारण आदेश द्वारा, धारा १३-क के अधीन अधिसूचित किया गए हैं, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, कर सकेगा.

(५) साइबर तहसीलदार, धारा ११ के प्रयोजन के साथ-साथ इस संहिता तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के लिए एक राजस्व अधिकारी होगा.".

४. मूल अधिनियम की धारा ५४ के पश्चात्, निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :— **धारा ५५ का अन्तःस्थापन.**

"५५. इस अध्याय के उपबंध, साइबर तहसील से संबंधित मामलों में साइबर तहसीलदार की समस्त कार्यवाहियों तथा पारित आदेशों पर इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे किसी तहसीलदार की, उसकी अधिकारिता वाली तहसील की कार्यवाहियों और पारित आदेशों पर लागू होते." **साइबर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की अपील, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण.**

५. मूल अधिनियम की धारा ११० में, उपधारा (७) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात् :— **धारा ११० का संशोधन.**

"(८) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, तहसीलदार—

(क) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ (१९३४ का २) या बैंककारी विनियमन अधिनियम, १९४९ (१९४९ का १०) के उपबंधों के अधीन स्थापित और विनियमित कोई बैंक या वित्तीय संस्था से, यथास्थिति, बंधक या दृष्टिबंधक, जिसमें उसके द्वारा भू-धारी को दिए गए अथवा दिए जाने वाले अग्रिम, उनकी कालावधि को सम्मिलित करते हुए; या

(ख) किसी न्यायालय से —

(एक) भू-धारी पर कोई प्रभार, शास्ति या उसके द्वारा सृजित या अधिरोपित किसी दायित्व; या

(दो) उसके द्वारा पारित कोई डिक्री या आदेश,

से संबंधित प्रज्ञापना की प्राप्ति की तारीख से तीन दिन के भीतर खसरा के समुचित कॉलम में प्रविष्टियां करेगा तथा ऐसी प्रविष्टियां करने के पश्तात्, तहसीलदार भूमिस्वामी को सूचित करेगा, जो ऐसी प्रविष्टियों के विरुद्ध आपत्ति कर सकेगा और तहसीलदार के समक्ष इसके सुधार के लिए आवेदन कर सकेगा. तहसीलदार ऐसी जांच जैसी कि वह उचित समझे, किए जाने के पश्चात्, ऐसे सुधार कर सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे.

स्पष्टीकरण.—उपधारा (८) के खण्ड (ख) के प्रयोजन के लिए "न्यायालय" से अभिप्रेत है, कोई सिविल, दण्ड या राजस्व न्यायालय.".

धारा २४७ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा २४७ में, उपधारा (७) तथा उपधारा (८) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(७) मामलों के ऐसे वर्ग, जिनमें विधि पूर्ण प्राधिकार के बिना किसी खान या खदान से, जिसका कि अधिकार सरकार में निहित है, तथा उसके द्वारा समनुदेशित नहीं किया गया है, खान तथा खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५७ (१९५७ का ६७) तथा उसके अतंर्गत बने नियमों के अधीन व्यवहृत किए जाएंगे.".

धारा २५८ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा २५८ की, उपधारा (२) में, खण्ड (एक-क) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(एक-ख) किसी साइबर तहसील में ऐसे मामलों के वर्ग को निपटाने की रीति;".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह अनुभव किया गया है कि कतिपय मामलों के वर्ग में, किसी जिले में पदस्थ राजस्व अधिकारी उनके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन द्वारा आदेश पारित कर सकें और ऐसे मामलों के निराकरण के लिए पक्षकारों को भौतिक उपस्थिति से अभिमुक्त किया जा सके. अतएव, किसी एक या एक से अधिक जिले के लिए साइबर तहसील की स्थापना करने तथा ऐसी साइबर तहसील में साइबर तहसीलदार की नियुक्ति के लिए, जो अविवादित राजस्व मामलों के निराकरण करेंगे, मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) में एक नई धारा १३-क अंत:स्थापित करना और धारा १९ को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है. साइबर तहसीलदार द्वारा विनिश्चित मामलों में अपील, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण से संबंधित किसी शंका के स्पष्टीकरण हेतु नई धारा ५५ को अंत:स्थापित किया जाना प्रस्तावित है.

२. बैंक या वित्तीय संस्थाएं, जो खाते के बंधक के आधार पर, कृषकों को अग्रिम ऋण देती हैं, और चाहती हैं कि ऐसे बंधक के संबंध में प्रविष्टियां भू-अभिलेखों में की जाएं और सम्यक् प्रज्ञापना तहसीलदार को भेजी है तो वह ऐसी प्रज्ञापना की प्राप्ति की तारीख से तीन दिन के भीतर उसे सत्यापित तथा अभिलिखित करेगा तथा इसी प्रकार यदि कोई न्यायालय, किसी खाते पर कोई प्रभार, शास्ति या दायित्व सृजित करता है या अधिरोपित करता है या किसी खाते के संबंध में कोई डिक्री या आदेश पारित करता है तो वह भी भू-अभिलेख में अभिलिखित की जाएगी. अतएव, प्रज्ञापना की तारीख से तीन दिन के भीतर ऐसी प्रविष्टियां करने के लिए उक्त संहिता की धारा ११० को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है.

३. उक्त संहिता की धारा २४७ की उपधारा (७) तथा उपधारा (८) में किसी खान या खदान से खनिज को विधिविरूद्ध निकालने या हटाने के लिए शास्ति से संबंधित उपबंध हैं तथा खान और खदान (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ (१९५७ का ६७) और इसके अधीन बने नियमों में भी इसी तरह के उपबंध हैं. यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी विधिविरूद्ध कार्य के लिए दाण्डिक उपबंध एक अधिनियमिति में केवल एक होना चाहिए, अतएव, संहिता की उक्त धारा २४७ में संशोधन प्रस्तावित है.

४. किसी साइबर तहसील में अविवादित मामलों के निराकरण के लिए, रीति विहित करने के लिए उक्त संहिता की धारा १३-क में यथा अपेक्षित नियम बनाने की शक्ति के लिए उपबंधों को उपबंधित करने हेतु, उक्त संहिता की धारा २५८ के अधीन संशोधन प्रस्तावित हैं.

५. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपालः
तारीख १४ दिसम्बर, २०२१.

गोविन्द सिंह राजपूत
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, २०२१ के खण्ड ३(४) द्वारा किसी साइबर तहसील में अविवादित मामलों के निराकरण की रीति विहित किए जाने संबंधी विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन राज्य सरकार को किया जा रहा, जो सामान्य स्वरुप का होगा.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) से उद्धरण

* * * *

धारा १३ (१)— राज्य सरकार संभागों का सृजन कर सकेगी जिनमें ऐसे जिले समाविष्ट होंगे जिन्हें कि वह ठीक समझे और वह ऐसे संभागों को समाप्त कर सकेगी या उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी.

(२) राज्य सरकार, किसी भी जिले या उपखण्ड या तहसील की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और नवीन जिले या उपखण्ड या तहसील का सृजन कर सकेगी या विद्यमान जिलों या उपखण्डों या तहसीलों को समाप्त कर सकेगी.

(३) राज्य सरकार, किसी भी संभाग या जिले या उपखण्ड या तहसील की सीमाओं में परिवर्तन करने या नवीन सृजन करने या विद्यमान संभागों, जिलों, उपखंडों या तहसीलों को समाप्त करने के किसी भी प्रस्ताव पर इस धारा के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व, ऐसे प्रस्तावों पर विहित प्ररूप में आपत्तियां आमंत्रित करेगी और प्राप्त आपत्तियों पर, यदि कोई हो, विचार करेगी.

धारा १३—क. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक प्रमुख राजस्व आयुक्त की नियुक्ति करेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो राज्य सरकार द्वारा उसे प्रदत्त की जाएं तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उस पर अधिरोपित किये जाएं.

* * * *

धारा १९ (१)— राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए उतने व्यक्तियों को, जितने कि वह ठीक समझे—

(क) तहसीलदार;

(ख) अपर तहसीलदार; तथा

(ग) नायब तहसीलदार

नियुक्त कर सकेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन उन्हें प्रदत्त की गई हैं तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो इस संहिता द्वारा यह इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन उन पर अधिरोपित किए गये हैं.

(२) कलेक्टर, किसी तहसीलदार को किसी तहसील का भारसाधाक बना सकेगा जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की गयी हैं या अधिरोपित किए गये हैं.

(३) कलेक्टर, किसी तहसील में एक या एक से अधिक अपर तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार नियुक्त कर सकेगा जो वहां ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन तहसीलदार को प्रदत्त की गयी हैं या अधिरोपित किए गये हैं, जैसा कि जिले का कलेक्टर, लिखित आदेश द्वारा निदेशित करे.

* * * *

धारा ५४ इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , कोई भी कार्यवाहियां जो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८ के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण से लंबित हो,—

(क) यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हों, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित धारा ५० की उपधारा (१) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जाएंगी तथा विनिश्चित की जाएंगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो, तो ऐसे सक्षम राजस्व अधिकारी को अंतरित की जाएगी;

(ख) यदि वे मण्डल या किसी राजस्व अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से शुरू की गई हों तो यथास्थिति, मण्डल या ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा उसी प्रकार सुनी तथा विनिश्चित की जाएंगी मानो कि यह संशोधन अधिनियम पारित नहीं किया गया हो;

(ग) यदि वे बंदोबस्त आयुक्त द्वारा शुरू की गई हों तो संबंधित संभाग के आयुक्त को अंतरित की जाएंगी, जो उन्हें सुनेगा और विनिश्चत करेगा;

(घ) यदि वे बंदोबस्त अधिकारी द्वारा शुरू की गई तो यथास्थिति, जिला सर्वेक्षण अधिकारी या कलेक्टर को अंतरित की जाएंगी, जो उन्हें सुनेगा और विनिश्चित करेगा.

* * * *

धारा ११० (१)— पटवारी या नगर सर्वेक्षक या धारा १०९ के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति, अधिकार के प्रत्येक ऐसे अर्जन को, जिसकी कि रिपोर्ट उसे धारा १०९ के अधीन की गयी हो या जो किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सूचना पर उसकी जानकारी में आये, इस प्रयोजन हेतु विहित किए गए रजिस्टर में दर्ज करेगा.

(२) यथास्थिति, पटवारी या नगर सर्वेक्षक या अधिकृत व्यक्ति अधिकार अर्जन संबंधी समस्त ऐसी रिपोर्ट जो कि उपधारा (१) के अधीन उसे प्राप्त हुई हो, ऐसी रीति में तथा ऐसे प्ररूप में जो कि विहित किया जाए, उसके द्वारा उसे प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर तहसीलदार को प्रज्ञापित करेगा.

(३) धारा १०९ के अधीन प्रज्ञापना के प्राप्त होने पर या किसी अन्य स्रोत से ऐसे अधिकार अर्जन की प्रज्ञापना के प्राप्त होने पर, तहसीलदार पद्रंह दिन के भीतर,—

(क) अपने न्यायालय में मामला पंजीकृत करेगा;

(ख) हितबद्ध समस्त व्यक्तियों को तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों तथा प्राधिकारियों को, जो कि विहित किए जाएं, ऐसे प्ररूप में तथा विहित रीति में नोटिस जारी करेगा; और

(ग) अपने कार्यालय के सूचना पटल पर प्रस्तावित नामांतरण से संबंधित नोटिस चस्पा करेगा तथा उसे संबंधित ग्राम या सेक्टर में विहित रीति में प्रकाशित करेगा;

(४) तहसीलदार हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसी और जांच, जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् नामांतरण से संबंधित आदेश मामला पंजीकृत होने की तारीख से अविवादित मामले की दशा में तीस दिवस में एवं विवादित मामले की दशा में पांच मास में पारित करेगा तथा यथास्थिति, ग्राम के खसरे या सेक्टर के खसरे में तथा ऐसे अन्य भू-अभिलेख में आवश्यक प्रविष्टि करेगा .

(५) तहसीलदार उपधारा (४) के अधीन पारित किये गये आदेश तथा अद्यतन भू-अभिलेखों की प्रमाणित प्रति विहित रीति में तीस दिन के भीतर पक्षकारों को निःशुल्क प्रदाय करेगा और उसके पश्चात् मामले को बंद करेगा :

परंतु यदि अपेक्षित प्रतियां विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्रदाय नहीं की जाती हैं तो तहसीलदार कारण अभिलिखित करेगा तथा उपखण्ड अधिकारी को रिपोर्ट देगा.

(६) धारा ३५ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन कोई मामला किसी पक्षकार की अनुपस्थिति में खारिज नही किया जाएगा तथा गुणागुण क्रम में निपटाया जाएगा.

(७) इस धारा के अधीन समस्त कार्यवाहियां पंजीकरण होने की तारीख से अविवादित मामले के संबंध में दो माह के भीतर पूर्ण जी जाएगी तथा विवादित कार्यवाहियों के मामले के छह माह के भीतर पूरी की जाएगी उस दशा में, जहां कार्यवाहियां विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर निराकृत नहीं की जाती हैं, तो तहसीलदार, लंबित मामलों की जानकारी की रिपोर्ट ऐसे प्रारूप तथा रीति में, जैसा कि विहित किया जाए, कलेक्टर को देगा.

* * * *

धारा २४७ (१) से (६) * * *

(७) कोई भी व्यक्ति, जो विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना किसी ऐसी खान या खदान में, जिसका कि अधिकार सरकार में निहित है तथा सरकार द्वारा समनुदेशित नहीं किया गया है, खनिजों को निकालेगा या हटायेगा तो वह, किसी अन्य कार्यवाही पर, जो कि उसके विरुद्ध की जा सकती हो प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कलेक्टर के लिखित ओदश पर, ऐसी शस्ति का भुगतान करने का दायी होगा जो इस प्रकार निकाले गये या हटाये गये खनिजों के बाजार मूल्य के चार गुना के हिसाब से संगणित राशि से अधिक नहीं होगी.

(८) उपधारा (७) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कलेक्टर किसी ऐसी खान या खदान से, जिसका कि अधिकार सरकार में निहित है और सरकार द्वारा समनुदेशित नहीं किया गया है, निकाले गये या हटाये गये किसी खनिज का अभिग्रहण तथा अधिग्रहण कर सकेगा.

स्पष्टीकरण—इस धारा में, ''खनिज'' के अंतर्गत कोई ऐसी रेत या चिकनी मिट्टी है जिसके कि संबंध में राज्य सरकार यह घोषित करे कि वह वाणिज्यिक महत्व की है या यह कि वह किसी लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है

* * * *

धारा २५८ (१) — राज्य सरकार, साधारणतः इस संहिता के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये नियम बना सकेगी.

(२) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिये उपबंध हो सकेंगे: —

(एक) धारा ३ के अधीन गठित राजस्व मण्डल के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबन्धन तथा शर्तें;

(एक-क) धारा १३ की उपधारा ३ के अधीन प्रस्थापना के प्रकाशन के लिए प्ररूप विहित किया जाना;

* * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.